फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

बालकृष्ण यादव बनाम लो.सू.अधि. ग्राम विकास अधिकारी पं.स. सेवर

किस्म मुकदमा अपील RTI नम्बर 12 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
12.03.2024	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट बालकृष्ण यादव निवासी 2 स 11, हाउसिंग बोर्ड, (कृष्णा नगर) भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी पं. स. सेवर जिला भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपील के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी पं. स. सेवर जिला भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को आर.टी.आई. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सूचना नहीं दिये जाने के कारण यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। चूंकि आर.टी.आई. के तहत ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर का नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस कर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर के यहाँ प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	150 15/3/24 निर्णय प्रति भेजी गई